



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र

रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छग०/रायपुर/चू०प०-37/रायपुर

दिनांक:- 28/04/2020

प्रति,

श्री बिमलेन्द्र झा, एम०डी०, सी०ई०ओ० एवं नॉमिनेटेड ऑनर,  
सर्वश्री अंबुजा सीमेंट लिमिटेड,  
ऐलिगेन्ट बिजनेस पार्क, एम०आई०डी०सी० कॉस रोड बी,  
अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व)  
मुम्बई - 400 059 (महाराष्ट्र)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थित आपकी खान चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 420.95 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 28/01/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री नीतेश रघुवंशी, प्रमुख (खान) एवं श्री सुथार भाविन कुमार, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. RPR/LST/MPLN-135/NGP/2015/13-RPR Raipur dated 04/08/2016 for the period of F.Y. 2016-17 to 2020-21: <b>Protective Measures:</b> In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given for construction of retaining wall all along the toe of the dump to arrest the washed fines and rolling boulders. Whereas, in the Northern Block, around the existing waste dump, retaining wall has not been constructed completely to arrest the washed fines and rolling boulders.
<b>Rule 33</b>	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2018-19.
<b>Rule 45(7)</b>	<b>Annual Return F.Y. 2018-19:</b> <b>Part V; General Geology &amp; Mining:</b> 4.2 (c): Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes) has not been mentioned.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) अंतर्गत:-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर - 440001 (महाराष्ट्र)

कृ०पृ०प०.2.

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री पंकज लोचन, प्रेसीडेन्ट (मेनुफेक्चरिंग), सर्वश्री अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, यूनिट— भाटापारा, पोस्ट— रवान, तहसील— बर्लोदाबाजार, जिला— बर्लोदाबाजार— भाटापारा (छत्तीसगढ़)— 362 715

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर